

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1996 सत्र

दैनिक कार्य-सूची

गुरुवार, दिनांक 8 अगस्त, 1996 ।श्रावण 17, 1918।

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 III के अधीन ध्यान आकर्षण

111 सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, श्रीमती कस्मा गुक्ला, सदस्य, दुर्ग जिले में पुलिस हिरासत के दौरान कई लोगों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

121 श्री नोबेल कुमार वर्मा, सदस्य, बिलासपुर जिले की बालाजी गैस कम्पनी द्वारा की गई धोखाधड़ी पर समुचित कार्यवाही न किये जाने की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री शिवप्रताप सिंह गुना, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से सहमत है."

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित
समय

50 मिनट

111 श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माध्यस्थ्य अधिकरण ।संशोधन। विधेयक, 1996 ।क्रमांक 9 सन् 1996। पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित

समय

30 मिनट

12। श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय [संशोधन] विधेयक, 1996 क्रमांक 10 सन् 1996 पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

3 घन्टे

13। श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय विधेयक, 1996 क्रमांक 11 सन् 1996 पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

भोपाल :

दिनांक : 7 अगस्त, 1996.

अशोक चतुर्वेदी

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.